

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::कार्यालय आदेश::—

अररिया जिला के ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया के अधीन सिकटी प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 अन्तर्गत वर्ष 2020-21 (बैच-1) में T05-Nepal Border Jhala Chowk to Jakirparas Last Border पथ के चैनेज 33.20 km (package No-BR-01P2R-49) पर बकरा नदी पर निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त पुल के संबंध में विभागीय निदेश के आलोक में निगरानी विभाग, पट्टना द्वारा तकनीकी परीक्षक कोषांग के चार सदस्यीय तकनीकी समिति से जाँच कराकर पंत्रांक 5863 अनु० दिनांक 20.11.2024 द्वारा विस्तृत जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। साथ ही विभाग द्वारा विभागीय जाँच समिति, IIT, Patna, Avantech Engineering Consortium Pvt. Ltd, New Delhi एवं Testing & Research Institute (TRI), Patna से पुल के विभिन्न अवयवों की जाँच करायी गयी। जाँच के दौरान निर्माणाधीन पुल का एबटमेन्ट A2, Pier-P8, deck slab स्पैन P8-A2 तथा P7-P8 स्पैन पूर्णतः क्षतिग्रस्त पाया गया एवं जाँच में डी०पी०आर० निर्माण, तकनीकी बीड मूल्यांकन, मापीपुस्त की प्रविष्टि एवं गुणवत्ता संबंधी कई अनियमितताएँ पायी गयी।

2. जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री मनीष कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया, जो उक्त पुल निर्माण कार्य से संबद्ध थे, के विरुद्ध पुल निर्माण कार्य के महत्वपूर्ण अवयवों यथा superstructure, Girder P7-P8, Deck Slab में जिम्म गुणवत्ता का कार्य कराने एवं पुल निर्माण कार्य का समुचित पर्यवेक्षण नहीं करने आदि के आरोपों पर आरोप पत्र गठित किया गया तथा श्री कुमार को आरोप पत्र एवं आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय ज्ञापांक 526 अनु० दिनांक 14.01.2025 द्वारा अधिकतम एक, पक्ष (15 दिनों) के अन्दर अपने बचाव का लिखित अभिकथन विभाग को समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री कुमार के आवेदन दिनांक 11.02.2025 द्वारा अपना स्पष्टीकरण देने के बजाय आरोपों से हटकर असम्बद्ध कागजातों की मांग की गयी। स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण न देकर अपनी जिम्मेवारी से बचने का प्रयास किया गया है। तदालोक में श्री कुमार के आवेदन को अस्वीकार योग्य पाया गया।

3. श्री कुमार का आवेदन अस्वीकृत करते हुए, मामले में लिखित अभिकथन समर्पित किये जाने की निर्धारित अवधि बीत जाने के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध संलग्न आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों की गहन/विस्तृत जाँच के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव श्री मनीष कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति निलंबित कनीय अभियंता, मुख्यालय-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया का कार्यालय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पट्टना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री धनिक लाल मंडल, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री मनीष कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति निलंबित कनीय अभियंता, मुख्यालय-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति

के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



(आदित्य प्रकाश)

अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग


ज्ञापांक :- 2 / अ०प्र०-१-७६ / २०२४

/ पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को 45 दिनों के अंदर समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु० :- यथोक्त।




अवर सचिव

ज्ञापांक :- 2 / अ०प्र०-१-७६ / २०२४

/ पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री धनिक लाल मंडल, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया / श्री मनीष कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति निलंबित कनीय अभियंता, मुख्यालय—अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त।




अवर सचिव

ज्ञापांक :- 2 / अ०प्र०-१-७६ / २०२४ 5180

/ पटना, दिनांक :- १५.५.२५

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी-4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अवर सचिव